**International Journal of Advanced Education and Research**
**ISSN: 2455-5746**
**Impact Factor: RJIF 5.34**
**www.alleducationjournal.com**
**Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 58-60**

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में निहित अंतर्विरोध और सामाजिक बहिष्करण एक विश्लेषण

**उमा चतुर्वेदी**
असि0 प्रो0, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बाँदा, उत्तर प्रदेश, भारत।

**सारांश**
किसी भी विषय पर किसी राज्य की नीति राज्य और नागरिकों के बीच संबंधो के विशेष प्रकारो को आकार देती है। यही तथ्य राज्य की शिक्षा सग्बन्धी नीति पर लागू होता है। अगर राज्य की शिक्षा सम्बंधी नीति समाजवादी–लोकतंत्र सामाजि–न्याय तथा पंथनिरपेक्षता के सिद्धान्तों पर टिकी होती है तब उसके और नागरिकों के बीच विश्वास तथा बराबरी के संबंध आकार लेते है। ऐसे सिद्धान्तों पर टिकी नीति के कारण उस राज्य के नागरिकों के बीच ऐसे संबंध आकार लेते है। जिससे राज्य में शांति और सद्भाव का वातावरण विकसित होता है। इसलिए राज्य की नीति का समझना एक जरूरी बौद्धिक जिम्मेदारी बन जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में अनेक उपबंध है। ये उपबंध संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में परस्पर विराधाभासी लगते है। इनमें से कुछ उपबंध सामाजिक न्याय की कसौटी पर खरे नही उतरते। इनकी वजह से नीति सामाजिक–बहिष्करण का माध्यम प्रतीत होती है। इस नीति के कुछ उपबंध देश के नागरिकों के बीच असमतामूलक संबंधों को जन्म देने वाले होने के कारण राज्य की सामाजिक समरसता के लिए शुभ नही है।
इस समय भारत अपनी नयी शिक्षा नीति बनाने की प्रकिया में है। यह सही समय है जब हमें अपने अतीत की गलतियों से सबक लेकर आगे का रास्ता बनाना चाहिए। सरकार के पास वे तमाम तथ्य है जो उसे भारत की सही स्थिति बता सकेते है। सरकार को चाहिए की वह इन तथ्यों का उपयोग एक ऐसी नीति बनाने में करे जिससे भारत के नागरिक और नागरिक और भी समरसतपूर्ण संबंधों में जी सके।

**मूल शब्दः** सामाजिक बहिष्करण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति

## प्रस्तावना
ऐसे ऐतिहासिक समय में जब देश का मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक नयी शिक्षा नीति के संलग्न है, हमें अपने इतिहास से सबक लेकर इस काम को अंजाम देना चाहिए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ ऐसे प्रावधान है जिनकी वजह से देश के सरकारी स्कूलों के ढांचा कमजोर हुआ। प्रस्तुत शोध पत्र ऐसे प्रावधानों को रेखाकिंत कर तत्कालीन भारत के सामाजिक हालातों के संदर्भ में उनका विश्लेषण करता है। उम्मीद है कि यह कोशिश वर्तमान केन्द्र सरकार को और अधिक समतामूलक शिक्षा नीति का निर्माण करने में मदद पहुँचा सकेगी।

## उद्देश्य
1. भारत के संविधान के कुछ संगत अनुच्छेदों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1986 का विश्लेषण करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ''सामाजिक बहिष्करण'' की संकल्पना की मदद से समझना।
3. नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सुझाव देना।

## प्रविधि
विषयवस्तु विश्लेषण शोध का एक उपकरण है। (क्रिपेन्ड्रोपफ, 1980. 21)। यह उपकरण गुंणात्मक शोध में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में से एक है (मरटन्स, 14। शोध में विषयवस्तु–विश्लेषण का शोध उपकरण के रूप में अपनाया गया है। यह शोध गुणात्मक शोधें के बारें में स्वीकृत उस धरणा की परिधि में नही आता जिसके अनुसार गुणात्मक शोधों का उद्देश्य सिति के बारे में भागीदारी द्वारा की जाने वाली व्याख्या को दुनिया के सामने लाना है।लेकिन इस अध्ययन में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नही है। लिखित सामग्रीकी भाषा है, जो उसके संदर्भ जगत के बारे में कुछ सूचनाएँ देती है। इस भाषा को समझकर, विभिन्न संकल्पनाओं की मदद से लिखित सामग्री की मीमांसा की जाती है। ऐसी मीमांसा जिससे शिक्षा की व्यवस्था को अधिक समतामूलक बनाने में मदद मिले। ऐसी मदद जो पढ़ने तथा पढ़ानें वालों में रूपांतरण लाने का कारक बन सके। इसमें यह ऐतिहासिक उम्मीद शामिल है कि इस प्रकार के शोध से वंचितों को सशक्त और संगठित होने की राह खोजने में सहायता मिलेगी। यह इस अध्ययन का नैतिक सरोकार है। शोध उपकरण के रू‍ में विषयवस्तु विश्लेषण का महत्व इस बात में है कि यह शोधकर्ता को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिसकी मदद से वह लिखे के आधार पर अनावलोकित परिघटना के बारे में निष्कर्ष निकालने एवं भविष्यकथन करने की स्थिति में आ सके। दस्तावेजों में प्रतीकों के रूप में जो कुछ दर्ज होता है उनका विश्लेषण करके परिघटना के परोक्ष पहलू दस्तावेज के आने से पहले तथा दस्तावेज के लागू होने के बाद हो सकते है।
प्रस्तुत शोध में विषयवस्तु विश्लेषण का मकसद यह समझना है कि नीति के जरिए भारतीय समाज के बारे में किस प्रकार के संदेशों को प्रसारित किया जा रहा हैं।

## नीति का विश्लेषण
किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति उसकी शिक्षा के संदर्भ में प्रतिबद्धताओं की औपचारिक तथा संवैधानिक घोषणा होती है। नीति उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती है जिनके आधार पर आने वाले वर्षों में शिक्षा के लिए संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं को आकार दिया जाएगा। इसके आधार पर यह तय किया जाना होता है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों में किस प्रकार के पारस्परिक संबंध होंगे। इसी के आधार पर यह तय किया जाना होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बनाए रखने तथा बढ़ाने के ि‍ए कौन कौन से कदम उठाए जाएँगे। नीति इस सवाल का उत्तर देने में भी मदद करती

हैं कि किसको कितना तथा किन स्थितियों में अपनी शिक्षा जारी रखने का हक होगा। नीति राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में समानता तथा सामाजिक न्याय के बारे में प्राथमिकताओं का घोषणापत्र भी होती है। शिक्षा के मामले में जब कोई फैसला विवाद का रूप ले लेता है तब उसके पक्ष तथा विपक्ष में नीति को आधार बनाकर तर्क दिए जाते है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गये चार के स्नातक कार्यक्रम को गलत ठहराए जाने के लिए नीति को ही आधार बनाया गया था। पिछले साल 5 सित्मबर को प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चे–बच्चियों के साथ बातें की। इस बातचीत में उन्ळोने उन सराकारों की तरफ इशारा किया जिन्हे वे शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते है। इस समय राष्ट्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 को मानकर इतना होने पर भी यह नीति आन्तरिक अंतर्विरोधों से भरी पड़ी है। इसमें निहित अन्तर्विरोध, नीति का झुकाव असमतामूलक शिक्षा व्यवस्था की ओर करते प्रतीत होते है।

शिक्षा के संदर्भ में समय–समय पर निकलने वाले सकरारी आदेश भी शिक्षा की नीति के हिस्से होते है। लेकिन इस लेख में नीति के अर्थ को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 तक ही सीमित रखा गया है। इस लेख को लिखने का तात्कालिक कारण देश भर में नयी शिक्षा बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों में एक अकादमिक योगदान देना भर है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विश्लेषण के लिए नीतिगत प्रावधानों के अतिरिक्त भारत के संविधान का संदर्भ लिया गया है। रा.शि.नी. का अध्ययन करने तथा इसके एक अनुच्छेद को इसी के अन्य अनुच्छेद के आलोक में पढ़ने से ऐसी अनेक बातें रेखाकिंत है जो चौकाने वाली है। रा.शि.नी. के एक अनुच्छेद में जिस विचार की स्थापना की गई है, उसके किसी अन्य अनुच्छेद में उसी विचार को खंडित कर दिय ागया है। ऐसा लगता है कि शिक्षा के प्रति नीतिगत स्थापना के संदर्भ में इसके द्वारा भ्रम की स्थिति बनाए रखी गई है। ताकि राज्य सुविधानुसार किसी भी पाले में खड़ा हो सके। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के तरीकों को समझने के लिए इसमें दर्ज प्रावधानों पर विचार करते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुच्छेद 3.1 कहता है कि ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना संविधान में निहित सिद्धान्तों के आधार पर की गई है।'' यानि समानता और सामाजिक न्याय इस परिकल्पना के केन्द्र होने चाहिए। नीति का अनुच्छेद 3.2 कहता है कि–

''राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को, बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान, या लिंग भेद के, लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो।''

इस प्रकार नीति का यह अनुच्छेद 15 का पालन करता हुआ लगता है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार– ''राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद भाव नही करेगा।'' इसका अर्थ यह हुआ कि कोई नागरिक कहाँ पैदा हुआ/हुई है, नीति बनाने में इस आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव नही किया जाएगा। संविधान के अनुसार राज्य उदाहरणार्थ बस्तर में पैदा हुए तथा दिल्ली में पैदा हुए नागरिक में भेदभाव नही करेगा। रा.शि.नी. का अनुच्छेद 3.1 संविधान की सइ मंशा को भी प्रतिबिम्बित करता है। इस नीति का अनुच्छेद 4.1 जोर देकर कहता है कि– ''नयी नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी। और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवष्यकताओं केा ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया करेगी'' नीति के इन अनुच्छेद में भरतीय राज्य देश में शिक्षा की ऐसी प्रणाली स्थापित करने के प्रति प्रतिबद्ध लगतता है जो समानता और न्याय के सिद्धान्त पर टिकी होगी। अब तक के अनुच्छेद में रा.शि.नी. का सरोकार देश के वंचित तबकों के लिए शिक्षा के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना लग रहा हैं अपने अनुच्छेद 4.6 (1) में नीति एक बार फिर से कमजोर तबकें के लागों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को स्पष्ट करते हुए कहती है कि – ''अनुसूचित जातियों को अन्य लोगों की बराबरी में लाने के लिए आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी'' यह मेरा संविधान के अनुच्छेद 15.3 तथा 15.4 से ताकत पता लगता है। ये अनुच्छेद राज्य को वह शक्ति प्रदान करते है जिनके आधार पर राज्य 'सामाजिकऔर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गो की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष'' उपबंध कर सकता है। पेरा 4.6(1) में नीति ने इन्ही दो अनुच्छेदों को आधार बनाया है।

यहाँ तक तो लगता है कि भारतीय राज्य संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रति दृढ है। ऐसा लगता है कि उसे भारत के कमजोर वर्ग का ध्यान है और वह सभी के लिए शिक्षा के समान और न्यायूर्ण अवसर उपलब्ध करवाना चाहते है। लेकिन नीति की यह मंशा ज्यादा दूर तक बनी नही रह पाती। अपने अनुच्छेद 5.8 पर वह अचानक उनसे मुंह फेरकर असमानता का दामन थाम लेती है। नीति का यह अनुच्छेद 5.8 कहता है कि–

''ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड गए है, या जो ऐसे स्थानों पर रहते है जहाँ स्कूल नही है या जो काम में लगे है, और वे लड़कियाँ जो दिन के पूरे समय नही जा सकती, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा''

एक तरफ तो नीति के अनुच्छेद 4.1 तथा 4.6 गैर–बराबरी के खिलाफ कमर कसने की बात कर रहे है और दूसरी तरफ इसी नीति का अनुच्छेद 5.8 गैर–बराबरी को बनाए रखने के लिए प्रतिद्ध दिखता है।

पहला सवाल यह है कि नीति जन्म–स्थान के आधार पर भेदभाव कर रही है या नही? जब यह कर रही है कि राज्य उन जगहों पर स्कूल नही खेलेगा जहां अब तक स्कूल नही खेले गए, तब नीतिगत तौर पर यह तय है कि देश के दूर दराज के इलाकों में स्कूल नही खोले जाएंगे। नीति का अनुच्छेद 4.1 समान अवसर की बात करता है जबकि इसके अनुच्छेद 5.8 तथा 5.9 असमान अवसर उपलब्ध करवाने की नीति पर टिका होने के साथ–साथ लिंग और जन्म–स्थान के आधार पर भेदभाव को वैधता प्रदान कर रहे है।

दूसरा सवाल यह है कि नीति गरीब और उत्पीड़ित वर्ग के बच्चे–बच्चियों को काम पर भेजना पडता है क्या वे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछढे'' हुए है या नही ? नीति का अनुच्छेद 5.8 उन हालातों को समझकर उनसे निपटने के लिए तैयार नही है जो बच्चों को काम पर जाने के लिए मजबूर रकते है। इसके विपरीत वह बाल मजदूरी को वैधता प्रदान करके संविधान के अनुच्छेद 24 का उलंघन करती प्रतीत होती है।

तीसरा सवाल यह है कि क्या ीति उन सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा आर्थिक हालातों और संरचनाओं के पक्ष में खड़ी है जो लड़कियों की पढ़ाई–लिखाई में बाधक है? नीति का यह पेरा बच्चियों के साथ होने वाले भेदभाव को भी बाए रखना चाहता है, जोकि इसके अनुच्छेद 4.2 में कही गई बात के विरोध में जाती है। इसका अनुच्छेद 4.2 बहुत प्रभावी रूप में कहता है कि–

> ''शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा''

अतीत से चली आ रही विकृतियों में वह विकृति भी शामिल है जिसके अंतर्गत जन्म से ही बच्ची को औरत बनने का प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। नीति गरीब लड़कियों के लिए स्कूल की जगह अनौपचारिक केन्द्र खोलकर उनकी स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रही है। इससे ऐसा भी लग रहा है की राज्य लड़कियों के खिलाफ खड़ी सामाजिक–सांस्कृतिक स्थितियों से टकराने की बजाए नीतिगत तौर पर उन्हे वैधानिकता प्रदान कर रही है। ऐसा तब हो रहा है जबकि संविधान का अनुच्छेद 15.3 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह स्त्रियों के हक में कुछ विशेष कर सकता है।

90 का दशक देश में आर्थिक सुधारों का दौर रहा। यह दौर वर्तमान में जारी हैं इन सुधारों से एक और जहां देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढी वही दूसरी और बहुसंख्यक लोग अर्थव्यवस्था में आई तेजी से लाभांवित नही हो सके। इन सुधारों के दौर में आर्थिक विषमता की खाई ज्यादा चौडी होने के कारण बहुसंख्यक लोागों का आर्थिक बहिष्करण हुआ।

1992/93–2005/06 के आर्थिक सुधारों के कालखण्ड में भारत की वास्तविक राष्ट्रीय आय में 125 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि इतनी ही अवधि के पिछले कालखण्ड में यह वृद्धि 97 प्रतिशत थी। इसके परिणाण स्वरूप 1992/93–2005/06 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले तीन सालों में आर्थिक वृद्धि दर 9 प्रतिशत से ज्यादा रहने के साथ, अर्थव्यवस्था में जबरजस्त उछाल आया।.....

पिछली सदी के अंत तक अर्थव्यवस्था में आए इस तरह का उछाल सुख के आभास की दिशा में ले गया। लेकिन बहुसंख्यक लोग, जिनके पास उपभोग के लिए 20 रूपये प्रतिदिन भी नही थे, इस सुख के अहसास को छू नही पायें। 2004–05 के अंत तक करीब 836 मिलियन या जनसंख्या का 77 प्रतिशत भाग 20 रूपये प्रतिदिन से काम पर जिन्दा है.....

जिस दौर में आर्थिक प्रगति बेहतर रही उसी दौर मे आर्थिक विषमता का स्तर भी ऊँचा रहा। तमाम आर्थिक सुधारों के बावजूद हमारे देश में 20 रूपये प्रतिदिन से भी कम खर्च करने वाले नागरिकों की संख्या 83–6 करोड़ है। ये कौन लोग है? 2004–05 में जिनकी संख्या लगभग 84 करोड़ थी। जिनको अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने से बहुत पीछे छोड दिए गये। 87–8 प्रतिशत अनुसूची जाति/ अनुसूचि जनजाति, 79–9 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग (मुस्लिम को छोडकर) तथा 84–8 प्रतिशत मुस्लिम इस कोटि में आते है। इस तरह के ठोस आंकडों के साथ नीति को संवाद कर आगे बढना चाहिए।

## सामाजिक बहिष्करण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति

जो व्यक्ति भारत के जनसंख्या वितरण के बारे में जानकारी रखते है वे आसानी से पहचान सकते है कि देश क मुख्यतः किन इलाकों में रहने वाले लोगों पर नीति का अनुच्छेद 5.8 असर डाल रहा होगा। रा.शि.नी. को सामाजिक बहिष्करण के नजरिए से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि नीति का अनुच्छेद 5.8 ऐसी संभावना लिए हुए है। बहिष्करण का परिणाम है (थोराट, 201: 5) विभिन्न प्रकार की वंचनाओं के कारणों को समझने के लिए बहिष्करण तथा उसके विभिन्न प्रकारों को समझना आवश्यक है। ''सामाजिक बहिष्करण समाज अवसर देने से इंकार करना है। इसे समाज के किन्हीं समूहों द्वारा अन्यों पर लादा जाता है जिससे कोई व्यक्ति समाज की बुनियादी राजनैतिक, आर्थिक तथा तथा सामाजिक गतिविधि में भाग लेने के लिए आयोग्य हो जाता है।'' अमर्त्यसेन ने बहिष्करण के दो प्रकार बताए है। ''अंगभूत प्रासंगिकता'' तथा ''नैमिक्षिक महत्व'' तथा अंगभूत प्रासंगिकता तथा नैमिक्षिक महत्व'' अंगभूत प्रासंगिकता का बहिष्करण जो आपने आप में एक क्षति है। इसके साथ ही यह अप्रत्यक्ष रूप से अन्य वंचनाओं को पैदा कर सकता है। जैसे किसी नागरिक से मताधिकार छीन लेना आपने आप में एक क्षति है और यह क्षति उस नागरिक के संदर्भ में उसके लिए अन्य वचनाओं को पैदा करता है। इस प्रकार मताधिकार का छीना जाना बहिष्करण के संदर्भ में अंगभूत प्रासंगिकता रखता है। इस उदाहरण का उपयोग बहिष्करण के एक और प्रकार को समझाने के लिए भी किया जाएगा।

''बहिष्करण का नैमिक्षिक महत्व भी हो सकता है। इस प्रकार का बहिष्करण स्वयं में क्षति नही होता, लेकिन वह अन्य प्रकार वंचनाओं से संबद्ध होता है। जैसे जमीन विहीन होना नैमिक्षिक प्रकार की वंचना है। लेकिन परंपरा के कारण जिन ग्रामीणों के जीवन का आधार ही जमीन हो उनके लिए जमीन का छिनना अंगभूत वचना है। ..... अंगभूत प्रासंगिकता तथा नैमिक्षिक महत्व में अन्तर करने का एकमात्र लाभ यह है कि सामाजिक बहिष्करण का विश्लेषण करेन में इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

बहिष्करण में अन्य संभावित अन्तर सक्रिय और निष्क्रिय बहिष्करण का है। जैसे लोगों के किसी समूह को मताधिकार से वंचित रखना ''सक्रिय बहिष्करण'' कस उदाहरण है जिसका स्वयं में महत्व है। कभी–कभी ''सक्रिय बहिष्करण, बहिष्करण के ऐसे परिणाम पैदा करता है जो बहिष्करण की योजना के अंग नही थे। जैसे भारत में आज की तारीख में किसी को प्राम्भिक शिक्षा से बहिष्कृत करना ''सक्रिय बहिष्करण कहलाएगा।

## नई शिक्षा नीति हेतु सुझाव

इस जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के 17.9 प्रतिशत घरो में 75 प्रतिशत घरो में सबसे ज्यादा कमाने वाले सदस्य की मासिक आमदनी भी 5000 रू0 से कम है। यानि प्रतिदिन 167 रूपये से भी कम। इसलिए शिक्षा की नयी नीति बजट बनाते समय बजट और अन्य सुविधाओं की आवंटन में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

## सन्दर्भ


1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1988) शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. थोराट,सुखदेव (2013) कास्ट, सोशल एक्सक्लूजन,–पावर्टी क्रिटिकल क्वेस्ट, नई दिल्ली।
3. राममूर्ति समिति रिपोर्ट (1990), प्रबुद्ध और मानवीय समाज की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 समीक्षा भारत सरकार नयी दिल्ली।